**प्रकरण संख्या 4/2017 नवीनचन्द बनाम दीनानाथ**

| तारीख हुक्म | हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.08.2018 | वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 53 व 188 का एक वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 20–01–2011 को की जाकर दिनांक 31–01–2011 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अनुसार दिनांक 25–03–2011 को प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध दिनांक 20–01–2011 को हुई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर प्रारम्भिक डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।<br><br>उक्त आवेदन अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होकर नकल रेस्पोन्डेन्ट/वादी को दिलायी जाना प्रकट है, परन्तु पीठासीन अधिकारी के इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–01–2011 से लेकर अन्तिम डिक्री जारी करने की दिनांक 19–01–2012 तक कोई विचार नहीं किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 19–01–2012 को सिर्फ दो पक्तियों में यह लिखते हुए कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत हुआ है। अतएवं बाद बहस खारिज किया जाता है।<br><br>प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20–01–2011 को उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही तथा दिनांक 31–01–2011 की प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध आवेदन 25–03–2011 को प्रस्तुत कर दिया गया था। आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के लिए एक माह की विहित अवधि होती है जो दिनांक 31–01–2011 के प्रारम्भिक डिक्री से 30 दिवस अर्थात दिनांक 02–03–2011 तक होती है, तद्नुसार एकतरफा डिक्री को अपास्त किये जाने के लिए आवेदन 22 दिवस बाद दिनांक 25–03–2011 को पेश किया गया है। अधिनस्थ | |

**प्रकरण संख्या 4/2017 नवीनचन्द बनाम दीनानाथ**

न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर दिनांक 25–03–2011 से लेकर दिनांक 19–01–2012 तक कोई विचार नहीं किया है तथा एकतरफा डिक्री को अपास्त किये जाने के लिए दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन को सिर्फ 22 दिवस के विलम्ब के आधार पर उक्त आवेदन खारिज कर दिया है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्ट की साक्ष्य हेतु विचाराधीन थी, तद्नुसार प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना वांछनीय था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यन्त सरसरी रूप से प्रतिवादी/अपीलान्ट का आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का एकतरफा आवेदन बिना तर्क संगत आधारों के खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31–01–2011 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 19–01–2012 अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31–01–2011 व अंतिम डिक्री दिनांक 19–01–2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य प्रथम पेशी पर ही प्रस्तुत की जायेगी तथा प्रतिवादी/अपीलान्ट की साक्ष्य लेने के बाद प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय प्रारम्भिक डिक्री पर अपना निर्णय उपलब्ध द्विपक्षीय साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार पारित करें तथा प्रारम्भिक डिक्री के निर्णय के बाद अंतिम डिक्री पर कार्यवाही की जावेगी। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 29–10–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

**प्रकरण संख्या 4/2017 नवीनचन्द बनाम दीनानाथ**

**प्रकरण संख्या 4/2017 नवीनचन्द बनाम दीनानाथ**

| | | |
|---|---|---|
| | | |